हिन्दू-संगठन एवं हिन्दू राष्ट्रकी स्थापना हेतु कार्यरत

हिन्दू जनजागृति समिति

पंजीयन क्र. : 1540/I-634, १२.११.२००२, फोंडा, गोवा.

चल-दूरभाष क्रमांक

इ-मेल
contact@HinduJagruti.org
जालस्थल (वेबसाइट)
www.HinduJagruti.org

पंजीकृत कार्यालय : 'मधु स्मृति', प्रथम तल, बैठक सभागृह, घर क्र. ४५७, सत्यनारायण मन्दिरके निकट, ढवळी, फोंडा, गोवा ४०३ ४०१.

दिनांक : 3.7.2017

प्रेस विज्ञप्ति

श्री तुळजाभवानी मंदिर भ्रष्टाचार प्रकरण : उच्च न्यायालय की शासन के प्रति अप्रसन्नता !

छत्रपति शिवाजी की 'शिवशाही' के आदर्श पर चलनेवाला महाराष्ट्र शासन आई तुळजाभवानी मंदिर लूटनेवालों को पकडने में देर क्यों कर रहा है ?

संपूर्ण प्रकरण की जांच आगामी ३ मास में पूर्ण करने के विषय में शपथपत्र पुलिस उपमहासंचालक प्रस्तुत करेंगे

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान में वर्ष १९९१ से २००९ इन १९ वर्षों की कालावधि में दानपेटी की नीलामी करते समय अनुचित और झूठी प्रविष्टि कर संस्थान के करोडों रुपए लूटे गए, दानपेटी घोटाले में देवस्थान का १२० किलो सोना, २४० किलो चांदी लूटी गई, साथ ही संस्थान की २६५ एकड जमीन भी हडपी गई, तब भी छत्रपति शिवाजी के आदर्श पर चलनेवाले 'शिवशाही' शासन कहलानेवाले महाराष्ट्र शासन को आई तुळजाभवानी की संपत्ति लूटनेवालों को पकडने में इतना समय क्यों लग रहा है, ऐसा प्रश्न हिन्दू जनजागृति समिति के राज्य संगठक श्री. सुनील घनवट ने किया । श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान में हुए भ्रष्टाचार प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में ३० जून को सुनवाई हुई, उस समय मा. मुख्य न्यायमूर्ति मंजुळा चेल्लूर और मा. न्यायमूर्ति आर.एम. बोर्डे की द्विसदस्यीय खंडपीठ ने पुलिस उपमहासंचालक (अपराध अन्वेषण विभाग) से इस विषय में कठोर शब्दों में प्रश्न किया, तथा कूर्मगति से चल रही जांच के प्रति अप्रसन्नता दर्शाई । इस पर, 'इस पूरे प्रकरण की संपूर्ण जांच आगामी ३ मास में पूर्ण करेंगे' ऐसा राज्य के पुलिस उपमहासंचालक ने न्यायालय में कहा । उन्हें शपथपत्र १४ जुलाई तक प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय ने बताया ।

इस विषय में बोलते हुए श्री. घनवट ने कहा कि इस प्रकरण में २१ जिलाधिकारी एवं अन्य न्यासियों ने आपसी सहमति से उपरोक्त गबन किया है । इस विषय में वर्ष २०१५ में १५ विधायकों ने विधानमंडल में आवाज उठाई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'इस प्रकरण की जांच राज्य अपराध अन्वेषण विभाग को (सीआइडी) को सौंपी । अभी जांच चल रही है और वह शीघ्र ही पूर्ण होगी', ऐसा उत्तर भी दिया था । परंतु अब संबंधित अधिकारी ही उच्चपदस्थ अधिकारी एवं अन्य न्यासी राजनीतिक नेता बन गए हैं, इसलिए जांच धीमी पड गई है । इसीलिए इस प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । आज तक राज्य शासन ने जिन-जिन मंदिरों का सरकारीकरण किया, उन सभी मंदिरों में भ्रष्टाचार शिखर पर पहुंचा है । हिन्दुत्ववादी शासन केंद्र और राज्य में सत्ता में आकर भी दुर्भाग्य से हिन्दुओं के मंदिर अभी भी इसी दुष्चक्र में उलझे हुए हैं । परंतु शासन यह ध्यान में रखे कि मंदिरों का पैसा हडपने का पाप करनेवाले और उन्हें संरक्षण देनेवाले दोनों को पाप लगता है । इन पापी शक्तियों को आई तुळजाभवानी उचित दंड देगी, ऐसी हमारी श्रद्धा है । राज्य के मंदिर शीघ्र भ्रष्टाचारमुक्त होने हेतु उनका सरकारीकरणमुक्त होना आवश्यक है, ऐसा मत श्री. घनवट ने इस समय व्यक्त किया । इस सुनवाई के समय समिति की ओर से हिन्दू विधिज्ञ परिषद के अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता पंकज गायकवाड और अधिवक्ता उमेश भडगावकर ने मोर्चा संभाला ।

आपका नम्र,

सुनील घनवट

श्री. सुनील घनवट,
राज्य संगठक, हिन्दू जनजागृति समिति, महाराष्ट्र. (संपर्क : 9404956534)